**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा उत्पादन विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3862**

**02 अप्रैल, 2018 को उत्तर के लिए**

**शिपयार्ड कंपनियों की क्षमता का आकलन**

**3862, श्री के.टी.एस.तुलसीः**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

1. क्या सरकार ने भारत में निजी और सरकारी शिपयार्ड कंपनियों की क्षमता का आकलन करने के लिए कोई समिति गठित की है;
2. यदि हां, तो समिति के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने इन निष्कर्षों को स्वीकार कर लिया है; और
3. यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ.सुभाष भामरे)**

1. रक्षा मंत्रालय {रक्षा उत्पादन विभाग और रक्षा मंत्रालय (वित्त)} के साथ सेना मुख्यालय (एसएचक्यू) आवधिक आधार पर रक्षा अधिप्राप्ति नीति (डीपीपी-16) के अध्याय-4 (रक्षा पोत निर्माण हेतु प्रक्रिया) के पैरा 10 और 63 के अनुसरण में निजी और सार्वजनिक शिपयार्ड का क्षमता मूल्यांकन करते हैं।
2. प्रत्येक शिपयार्ड का क्षमता मूल्यांकन सेना मुख्यालय द्वारा किया जाता है और रिपोर्ट अनुमोदन हेतु रक्षा मंत्रालय/ डी जी (अधिग्रहण) को भेजी जाती है। अनुमोदन के पश्चात शिपयार्ड को दो वर्षों की अवधि के लिए विशिष्ट प्रकार और आकार के पोत निर्माण की क्षमता अनुमति प्रदान की जाती है और इसे संबंधित शिपयार्ड को सूचित किया जाता है।
3. प्रस्ताव हेतु अनुरोध जारी करने से पूर्व परियोजना के आवश्यक वेसेल के निर्माण के लिए शिपयार्ड की क्षमता निर्धारण के लिए उसका मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

\*\*\*\*\*\*